

मध्यप्रदेश शासन,  
गृह विभाग(सामान्य) विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-4-2/06, दो ए (3)  
प्रति,

मोपाल दिनांक 11 जनवरी, 2008

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मंडल,  
समस्त संभागायुक्त/समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्य प्रदेश।

विषय:-

संदर्भ:-

वर्दी सिलाई दरों का पुनरीक्षण।  
गृह विभाग का जापन क्रमांक 2-3/93/दोए(3)दिनांक 20/10/93, एवं  
जापन क्रमांक 4-3/93/दोए (3)दिनांक 1/7/97

000

राज्य शासन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रदाय की जाने वाली वर्दियों की सिलाई दरों को एतद्वारा निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है। ये दरें आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी :-

क्रमांक	वर्दी का नाम	सिलाई की दरें
1-	बटन अब कोट	90.00
2-	ट्राउजर	68.00
3-	गांधी टोपी	08.00
4-	पायजामा	30.00
5-	बुशर्ट/हाफ शर्ट	68.00
6-	बुशर्ट/पाकेटवाला	75.00
7-	गरम कोट	300.00
8-	ब्लाउज (सलूका)	30.00

2/- इसी दर पर स्व सहायकता समूह कार्य करने के लिए तैयार हो, तो उनको प्राथमिकता दी जावे।

3/- इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के बजट में विकलनीय होगा।

4/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 2387/2007/नि/चार, दिनांक 4/1/2008 द्वारा महालेखाकार, खालियर को पृष्ठांकित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार


(दशरथ कुमार)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह (सामान्य) विभाग

प्र0क्रमांक एक 4-2/2008/धोर(3)  
प्रतिलिपि

भापाल,दिनांक 11 जनवरी,2008

1. सचिव,मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
  2. महालेखाकार, म0प्र0ग्वालियर।
  3. पंजीयक, उच्च न्यायालय,जबलपुर,मध्यप्रदेश।
  4. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग इंदौर,मध्यप्रदेश।
  5. राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय,म0प्र0भोपाल।
  6. सचिव,विधान सभा सचिवालय,म0प्र0भोपाल।
  7. अवर सचिव(अधीक्षण)मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग
  8. अवर सचिव(स्थापना)मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग।
  9. अवर सचिव,मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, 15
  10. मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0मंत्रालय,भोपाल।
  11. मध्यप्रदेश राजपत्रित संघ,भोपाल।
  12. म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ,भोपाल।
  13. मध्यप्रदेश चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ,भोपाल।
  14. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ,भोपाल।
  15. म0प्र0मंत्रालयीन कर्मचारी संघ,भोपाल।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
गृह ( सामान्य ) विभाग